छत्तीसगढ़ में जनजातीय भूमि, वन और स्वशासन अधिकारों का विधिक अध्ययन

[1]अपर्णा सिंह, डॉ. राजीव नैन सिंह[2]
[1]शोधार्थी, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
[2]शोध निर्देशक, एसोसिएट प्रोफेसर (विभाग:कानून), भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

IJEETE

सारांश

यह शोधपत्र छत्तीसगढ़ में जनजातीय भूमि, वन संसाधनों और स्वशासन अधिकारों की विधिक स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। राज्य की सामाजिक-भौगोलिक संरचना में जनजातीय समुदायों की प्रमुख उपस्थिति, व्यापक वन क्षेत्र, खनिज-आधारित विकास और अनुसूचित क्षेत्रों की संवैधानिक व्यवस्था एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अध्ययन का मुख्य तर्क यह है कि संविधान की पाँचवीं अनुसूची, पेसा अधिनियम 1996, वनाधिकार अधिनियम 2006, छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 और भू-राजस्व संबंधी संरक्षण प्रावधान मिलकर जनजातीय समुदायों को भूमि, जल, जंगल और स्थानीय शासन पर अधिकार देने का कानूनी आधार बनाते हैं; किंतु इन अधिकारों का वास्तविक प्रभाव क्रियान्वयन, ग्राम सभा की क्षमता, वन विभाग और राजस्व प्रशासन की भूमिका, खनन-औद्योगिक दबाव, अभिलेखीय अस्पष्टता तथा न्यायिक पहुँच पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या लगभग 78.22 लाख है, वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक चरित्र का केंद्रीय तत्व है, और 31 दिसम्बर 2024 तक वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों की बड़ी संख्या दर्ज की गई है। शोध में दस्तावेजी एवं वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है। निष्कर्षतः, छत्तीसगढ़ का विधिक ढाँचा अधिकार-आधारित शासन की दिशा में महत्त्वपूर्ण है, परंतु भूमि-हस्तांतरण नियंत्रण, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, लघु वन उपज पर नियंत्रण और पेसा ग्राम सभा की वास्तविक निर्णय-क्षमता को मजबूत किए बिना जनजातीय स्वशासन अधूरा रहेगा।

मुख्य शब्द: छत्तीसगढ़, जनजातीय भूमि, वनाधिकार अधिनियम, पेसा, ग्राम सभा, पाँचवीं अनुसूची, सामुदायिक वन संसाधन, लघु वन उपज, स्वशासन, भूमि-अधिग्रहण

1. परिचय

छत्तीसगढ़ भारत के उन राज्यों में है जहाँ जनजातीय जीवन, वन संसाधन और स्थानीय शासन की व्यवस्था एक-दूसरे से अलग-अलग नहीं समझी जा सकती। राज्य के मध्य, उत्तर और दक्षिणी हिस्सों में अनेक जनजातीय समुदाय ऐतिहासिक रूप से वन, कृषि, चराई, नदी-नालों, पहाड़ी क्षेत्रों, लघु वन उपज और सामुदायिक संसाधनों पर आधारित जीवन-पद्धति का पालन करते रहे हैं। इसलिए भूमि और वन उनके लिए केवल संपत्ति या उत्पादन-कारक नहीं हैं; वे सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक स्मृति, धार्मिक आस्था, आजीविका, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक स्वायत्तता के आधार हैं।

विधिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रश्न इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जनजातीय अधिकारों को कई स्तरों पर संरक्षण प्राप्त है। संविधान की पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष संवेदनशीलता से देखने की

अपेक्षा करती है। पेसा अधिनियम, 1996 ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन का केंद्रीय मंच बनाता है। वनाधिकार अधिनियम, 2006 ऐतिहासिक अन्याय को मान्यता देते हुए वन-आश्रित समुदायों को व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त राज्य के भू-राजस्व कानूनों में जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले प्रावधान भी मौजूद हैं।

इसके बावजूद जनजातीय अधिकारों का प्रश्न केवल कानून की भाषा में नहीं सुलझता। कई बार कानून में दिए गए अधिकार और ज़मीनी शासन-प्रक्रिया के बीच अंतर दिखाई देता है। ग्राम सभा की सहमति और परामर्श, वनाधिकार दावों की स्वीकृति, खनन परियोजनाओं में भूमि-अधिग्रहण, लघु वन उपज का विपणन, वन संरक्षण के नाम पर नियंत्रण और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन में विभागीय हस्तक्षेप जैसे मुद्दे यह दिखाते हैं कि विधिक अधिकारों की वास्तविकता प्रशासनिक अभ्यास पर निर्भर करती है।

यह शोधपत्र इसी तनाव को समझने का प्रयास करता है। इसमें छत्तीसगढ़ को एक अध्ययन-क्षेत्र के रूप में लेकर यह विश्लेषण किया गया है कि भूमि, वन और स्वशासन अधिकारों की कानूनी संरचना क्या है, उसका क्रियान्वयन किन संस्थाओं के माध्यम से होता है, उपलब्ध आँकड़े क्या संकेत देते हैं और भविष्य में अधिकार-आधारित शासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या सुधार आवश्यक हैं।

1.1 समस्या कथन

मुख्य समस्या यह है कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदायों के लिए संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का ढाँचा अपेक्षाकृत व्यापक होने के बावजूद भूमि, वन और स्वशासन पर वास्तविक सामुदायिक नियंत्रण अभी भी असमान और अपूर्ण है। कानून ग्राम सभा को केंद्र में रखता है, किंतु कई निर्णय अभी भी राजस्व, वन, खनन और विकास प्रशासन की औपचारिक प्रक्रियाओं में बिखरे रहते हैं। इस कारण प्रश्न उठता है कि क्या मौजूदा विधिक व्यवस्था जनजातीय समुदायों को केवल संरक्षण देती है या उन्हें संसाधनों पर निर्णयात्मक शक्ति भी प्रदान करती है।

1.2 अध्ययन का महत्व

अध्ययन का महत्व तीन स्तरों पर है। पहला, यह छत्तीसगढ़ में जनजातीय अधिकारों को भूमि-वन-स्वशासन के एकीकृत ढाँचे में देखता है। दूसरा, यह पेसा और वनाधिकार अधिनियम को अलग-अलग नहीं बल्कि परस्पर पूरक कानूनों के रूप में पढ़ता है। तीसरा, यह विधिक संरक्षण और क्रियान्वयन-व्यवहार के बीच अंतर को रेखांकित करता है। वर्तमान समय में जब वन संरक्षण, खनिज विकास, जलवायु न्याय, आजीविका सुरक्षा और आदिवासी स्वायत्तता पर बहस तेज है, तब यह विषय नीति और विधि दोनों के लिए प्रासंगिक है।

1.3 अध्ययन के उद्देश्य

- छत्तीसगढ़ में जनजातीय भूमि, वन और स्वशासन अधिकारों के प्रमुख संवैधानिक एवं वैधानिक आधारों की पहचान करना।
- पाँचवीं अनुसूची, पेसा अधिनियम 1996 और छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 की भूमिका का विश्लेषण करना।
- वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की विधिक प्रकृति को समझना।

- जनजातीय भूमि के हस्तांतरण, अधिग्रहण और पुनर्स्थापन से संबंधित कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करना।
- छत्तीसगढ़ में जनजातीय जनसंख्या, वन आवरण और FRA दावों से संबंधित उपलब्ध आँकड़ों की व्याख्या करना।

चित्र 1. जनजातीय भूमि, वन और स्वशासन अधिकारों का विधिक-प्रशासनिक ढांचा।

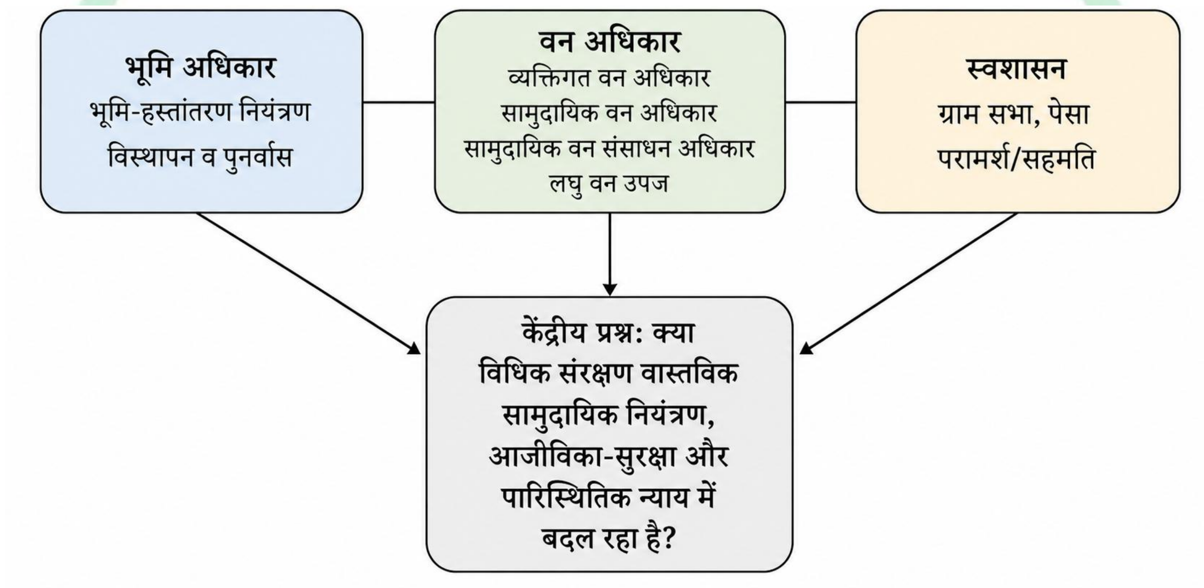

2. वैचारिक एवं विधिक पृष्ठभूमि

2.1 जनजातीय भूमि अधिकार की अवधारणा

जनजातीय भूमि अधिकार को सामान्य निजी स्वामित्व के सीमित अर्थ में नहीं समझा जा सकता। जनजातीय समाजों में भूमि परिवार, कुल, गाँव, देवस्थल, परंपरागत उपयोग और सामुदायिक स्मृति से जुड़ी होती है। आधुनिक राजस्व अभिलेख भूमि को खसरा, खाता और स्वामित्व की भाषा में दर्ज करते हैं, जबकि परंपरागत जनजातीय उपयोग कई बार साझा, मौसमी या सांस्कृतिक होता है। इसी अंतर से विधिक विवाद उत्पन्न होते हैं। जब किसी जंगल, चरागाह, देवगुड़ी, पहाड़ी या निस्तार क्षेत्र को केवल राजकीय भूमि या वन भूमि के रूप में दर्ज कर दिया जाता है, तब समुदाय के ऐतिहासिक संबंध अदृश्य हो सकते हैं।

जनजातीय भूमि-सुरक्षा का उद्देश्य केवल भूमि की बिक्री रोकना नहीं है। इसका उद्देश्य समुदाय को विस्थापन, ऋण-जाल, फर्जी हस्तांतरण, बाहरी कब्जे और विकास परियोजनाओं के असमान प्रभाव से बचाना भी है। इसलिए भू-राजस्व कानूनों में हस्तांतरण नियंत्रण, पेसा में ग्राम सभा की भूमिका और वनाधिकार अधिनियम में ऐतिहासिक अन्याय की स्वीकृति एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

2.2 वन अधिकार और सामुदायिक संसाधन

वनाधिकार अधिनियम, 2006 का मूल उद्देश्य उन वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देना है जो पीढ़ियों से वन संसाधनों पर निर्भर रहे हैं लेकिन औपनिवेशिक और पश्च-औपनिवेशिक वन प्रशासन में अधिकारहीन बना दिए गए। अधिनियम में व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक

अधिकार, निस्तार अधिकार, लघु वन उपज पर स्वामित्व, चराई, आवागमन, जल-स्रोतों का उपयोग और सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण व प्रबंधन का अधिकार शामिल है (Asher, 2019; Dlugoleski, 2020).

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्राम सभा को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि वन शासन की विधिक इकाई बनाता है। यदि ग्राम सभा को अपने पारंपरिक वन क्षेत्र के संरक्षण, पुनर्जीवन, उपयोग और प्रबंधन का अधिकार मिलता है, तो वन शासन ऊपर से नीचे जाने वाला विभागीय नियंत्रण नहीं रह जाता, बल्कि समुदाय-केंद्रित प्रबंधन का रूप ले सकता है।

2.3 स्वशासन और ग्राम सभा

पेसा अधिनियम का केंद्रीय तत्व ग्राम सभा है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को परंपराओं, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, समुदायिक संसाधनों और विवाद निपटान की संरचनाओं की रक्षा का अधिकार दिया गया है। पेसा का उद्देश्य पंचायती राज को केवल चुनावी स्थानीय निकाय तक सीमित नहीं रखना, बल्कि जनजातीय समुदायों की स्वायत्त निर्णय-व्यवस्था को संवैधानिक वैधता देना है (Kurup, 2008; Patnaik, 2007).

छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 ने लंबे समय के बाद राज्य में ग्राम सभा अधिकारों को अधिक व्यवस्थित रूप में अधिसूचित किया। इन नियमों का महत्व इसलिए है क्योंकि वे ग्राम सभा गठन, सामुदायिक संसाधनों, लघु जलाशयों, लघु वन उपज, बाज़ार, सामाजिक क्षेत्र, परामर्श, विवाद निपटान और विकास योजनाओं की प्रक्रिया को स्थानीय स्वशासन से जोड़ते हैं (Kindo, 2025; Veeresha, 2022).

तालिका 1. जनजातीय भूमि, वन और स्वशासन से जुड़े प्रमुख विधिक साधन

कानून/नीति	मुख्य उद्देश्य	छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रासंगिकता
भारत का संविधान, पाँचवीं अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था	राज्यपाल, जनजातीय सलाहकार परिषद और विशेष विनियमन की भूमिका
पेसा अधिनियम, 1996	अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा आधारित स्वशासन	भूमि-अधिग्रहण, लघु वन उपज, परंपरा और सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा की भूमिका
छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022	राज्य स्तर पर पेसा अधिकारों का क्रियान्वयन	ग्राम सभा प्रक्रिया, संसाधन प्रबंधन और स्थानीय निर्णयों का संस्थानीकरण
वनाधिकार अधिनियम, 2006	ऐतिहासिक अन्याय की मान्यता और वन अधिकारों का विधिक संरक्षण	IFR, CFR, CFRR, MFP और ग्राम सभा आधारित वन शासन
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959	जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर नियंत्रण	अनुचित/फर्जी हस्तांतरण की रोकथाम और भूमि पुनर्स्थापन की संभावना
भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून, 2013	सामाजिक प्रभाव आकलन, पुनर्वास और पारदर्शिता	अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा व पुनर्वास अधिकारों की प्रासंगिकता

3. साहित्य समीक्षा

3.1 संवैधानिक संरक्षण और जनजातीय स्वायत्तता

जनजातीय अधिकारों पर उपलब्ध साहित्य यह मानता है कि पाँचवीं अनुसूची केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह भारतीय संघवाद में जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति को स्वीकार करती है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग दृष्टिकोण इसलिए आवश्यक है क्योंकि सामान्य भूमि-बाज़ार, सामान्य वन प्रशासन और सामान्य विकास योजना कई बार जनजातीय समुदायों पर असमान प्रभाव डालते हैं। Sundar (2007) और Veeresha (2022) के अध्ययन इस बात पर बल देते हैं कि आदिवासी विकास को केवल कल्याणकारी योजनाओं से नहीं बल्कि भूमि, संसाधन, पहचान और निर्णय-शक्ति से जोड़कर देखा जाना चाहिए।

पेसा से संबंधित साहित्य में यह सामान्य निष्कर्ष मिलता है कि कानून की मंशा ग्राम सभा को स्थानीय स्वशासन का केंद्र बनाना है, परंतु अधिकांश राज्यों में पेसा का क्रियान्वयन विभागीय नियमों, अस्पष्ट प्रक्रियाओं और कमजोर प्रशासनिक समर्थन के कारण अधूरा रहा। छत्तीसगढ़ में 2022 में नियम बनने से विधिक शून्य कम हुआ, किंतु अब मुख्य प्रश्न नियमों की गुणवत्ता और वास्तविक अमल का है।

3.2 वनाधिकार अधिनियम और ऐतिहासिक अन्याय

वनाधिकार अधिनियम पर शोध यह बताता है कि औपनिवेशिक वन कानूनों ने जंगलों को राजकीय नियंत्रण के अधीन लाकर उन समुदायों को अधिकारहीन किया जिनका जीवन वन से जुड़ा था। FRA इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का प्रयास करता है। व्यक्तिगत अधिकार खेत और आवासीय उपयोग को सुरक्षा देते हैं, जबकि सामुदायिक अधिकार निस्तार, लघु वन उपज और सामुदायिक संसाधन पर नियंत्रण देते हैं (Kumar & Kerr, 2012; Kumar et al., 2015).

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पर विशेष साहित्य यह संकेत करता है कि यदि ग्राम सभा को वास्तविक प्रबंधन शक्ति मिले, तो वन संरक्षण और आजीविका सुरक्षा दोनों मजबूत हो सकते हैं। परंतु यह भी देखा गया है कि वन विभाग, राजस्व अभिलेख, मानचित्रण और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की कमी अधिकार मान्यता को धीमा या विवादित बना देती है।

3.3 न्यायिक दृष्टिकोण

भारतीय न्यायपालिका ने कई मामलों में जनजातीय भूमि और संसाधनों को केवल निजी संपत्ति नहीं बल्कि सामुदायिक अस्तित्व से जुड़े अधिकार के रूप में देखा है। Samatha निर्णय (1997) में अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि और खनिज-संबंधी हस्तांतरण पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामने आया। नीयमगिरि निर्णय (2013) में ग्राम सभा की भूमिका और धार्मिक-सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता मिली। ये निर्णय छत्तीसगढ़ के लिए भी वैचारिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य में खनिज, वन और जनजातीय निवास-क्षेत्रों का घनिष्ठ संबंध है (Dlugoleski, 2020; Veeresha, 2022).

3.4 शोध-अंतराल

अधिकांश अध्ययन भूमि अधिकार, वनाधिकार या पेसा को अलग-अलग विषय के रूप में देखते हैं। इस शोधपत्र का योगदान यह है कि यह छत्तीसगढ़ में इन तीनों को एक संयुक्त विधिक ढाँचे में समझता है। भूमि के बिना वन अधिकार कमजोर हैं, वन संसाधनों के बिना आजीविका असुरक्षित है, और ग्राम सभा की निर्णायक शक्ति के बिना दोनों अधिकार प्रशासनिक अनुमति तक सीमित हो सकते हैं।

तालिका 2. साहित्य समीक्षा का विषयगत सारांश

विषय	मुख्य विमर्श	स्रोत-आधार	विश्लेषणात्मक संकेत
भूमि अधिकार	भूमि-हस्तांतरण, अधिग्रहण, पुनर्स्थापन	भू-राजस्व कानून, पाँचवीं अनुसूची	भूमि को सांस्कृतिक और आजीविका अधिकार के रूप में देखना
वन अधिकार	IFR, CFR, CFRR, MFP	FRA 2006, FRA Rules, MoTA MPR	ऐतिहासिक अन्याय की मान्यता और सामुदायिक प्रबंधन
स्वशासन	ग्राम सभा, परामर्श, सहमति, परंपरा	PESA 1996, Chhattisgarh PESA Rules 2022	ग्राम सभा को निर्णय-इकाई बनाना
न्यायिक दृष्टिकोण	खनन, धार्मिक अधिकार, ग्राम सभा	Samatha; Orissa Mining Corporation	विकास निर्णयों में समुदाय की भूमिका
कार्यान्वयन चुनौती	अभिलेख, विभागीय समन्वय, क्षमता	MoTA reports, state rules	कानून और वास्तविक शासन के बीच अंतर

4. अनुसंधान पद्धति

4.1 शोध डिजाइन

यह अध्ययन वर्णनात्मक, विधिक-दस्तावेजी और विश्लेषणात्मक शोध-डिजाइन पर आधारित है। वर्णनात्मक इसलिए कि इसमें छत्तीसगढ़ की जनजातीय-वन स्थिति और प्रमुख कानूनों का व्यवस्थित विवरण दिया गया है। विधिक-दस्तावेजी इसलिए कि विश्लेषण का आधार अधिनियम, नियम, सरकारी आँकड़े, न्यायिक निर्णय और नीति-दस्तावेज हैं। विश्लेषणात्मक इसलिए कि अध्ययन केवल कानूनों की सूची नहीं देता, बल्कि यह समझता है कि वे अधिकार ज़मीन पर किस प्रकार लागू होते हैं।

4.2 स्रोत और सामग्री

प्राथमिक विधिक स्रोतों में भारत का संविधान, पेसा अधिनियम 1996, वनाधिकार अधिनियम 2006, छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता और संबंधित न्यायिक निर्णय शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों में 2002 से 2025 के बीच प्रकाशित लेखक-आधारित पुस्तकों, शोध-पत्रों और विधिक-अध्ययन सामग्री का उपयोग किया गया

है। सांख्यिकीय विवरणों को केवल संदर्भात्मक पृष्ठभूमि के रूप में पढ़ा गया है, जबकि विश्लेषण का मुख्य आधार लेखक-आधारित अकादमिक साहित्य है।

4.3 विश्लेषण की इकाई

अध्ययन की मुख्य इकाई छत्तीसगढ़ के अनुसूचित और वन-आश्रित जनजातीय समुदाय हैं। विश्लेषण चार आयामों पर केंद्रित है: भूमि सुरक्षा, वन अधिकार, ग्राम सभा स्वशासन और क्रियान्वयन की संस्थागत चुनौतियाँ।

4.4 सीमाएँ

यह शोध फील्ड सर्वेक्षण या प्राथमिक साक्षात्कार पर आधारित नहीं है। जिला-स्तर पर वास्तविक परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं। FRA और पेसा से संबंधित आँकड़े समय के साथ बदलते रहते हैं; इसलिए यहाँ प्रयुक्त आँकड़ों को संदर्भात्मक संकेतक माना गया है, न कि अंतिम प्रशासनिक निष्कर्ष।

तालिका 3. शोध पद्धति की रूपरेखा

तत्व	विवरण	उद्देश्य
शोध प्रकार	वर्णनात्मक और विधिक-विश्लेषणात्मक	कानून और क्रियान्वयन को साथ पढ़ना
स्रोत	संविधान, अधिनियम, नियम, सरकारी रिपोर्ट, न्यायिक निर्णय	प्रमाण-आधारित विधिक अध्ययन
डेटा	जनजातीय जनसंख्या, वन क्षेत्र, FRA दावे/अधिकार-पत्र	सामाजिक-भौगोलिक संदर्भ स्पष्ट करना
विश्लेषण आयाम	भूमि, वन, ग्राम सभा, प्रशासन	अधिकार और शासन के संबंध की व्याख्या
सीमा	कोई प्राथमिक सर्वेक्षण नहीं	दावों को दस्तावेजी अध्ययन तक सीमित रखना

5. छत्तीसगढ़ का सामाजिक-भौगोलिक संदर्भ

5.1 जनजातीय जनसंख्या और क्षेत्रीय महत्व

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियाँ राज्य की सामाजिक संरचना का बड़ा हिस्सा हैं। उपलब्ध जनसांख्यिकीय संकेतकों के अनुसार राज्य में जनजातीय समुदायों की उपस्थिति विशेष रूप से बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, जशपुर, सरगुजा, कोरबा और अन्य वन-प्रधान जिलों में गहन रूप से दिखाई देती है। इस क्षेत्रीय संकेंद्रण को समझना आवश्यक है क्योंकि भूमि, वन और स्वशासन के प्रश्न इन्हीं जिलों में सबसे अधिक तीव्र रूप से सामने आते हैं (Sundar, 2007; Veeresha, 2022).

यह जनसंख्या केवल सांख्यिकीय महत्व नहीं रखती। इन क्षेत्रों में भूमि-उपयोग, वनों पर निर्भरता, लघु वन उपज, पारंपरिक ग्राम संस्थाएँ, स्थानीय भाषाएँ और सांस्कृतिक प्रणालियाँ विकास नीति को विशिष्ट बनाती हैं। इसलिए सामान्य ग्रामीण विकास मॉडल यहाँ पर्याप्त नहीं है; अधिकार-आधारित और ग्राम सभा-आधारित दृष्टिकोण आवश्यक

है।

5.2 वन और आजीविका

छत्तीसगढ़ का सामाजिक-भौगोलिक चरित्र व्यापक वन क्षेत्र, खनिज संसाधनों और जनजातीय निवास-क्षेत्रों के ओवरलैप से निर्मित होता है। उपलब्ध वन-आवरण और भू-क्षेत्रीय संकेतक यह दिखाते हैं कि राज्य में वन केवल पारिस्थितिक संपदा नहीं हैं, बल्कि जनजातीय आजीविका, सामुदायिक पहचान और स्थानीय अधिकार-प्रक्रिया का केंद्रीय आधार हैं। इसी कारण वन शासन में ग्राम सभा और सामुदायिक संसाधन अधिकारों की भूमिका निर्णायक बन जाती है (Ballal et al., 2023; Kashwan, 2017).

वन-आधारित आजीविका में तेंदूपत्ता, महुआ, साल बीज, चार, चिरौंजी, शहद, लाख, औषधीय पौधे, बाँस और अन्य लघु वन उपज का महत्त्व है। लघु वन उपज केवल घरेलू उपयोग का विषय नहीं है; यह नकद आय, महिला श्रम, मौसमी रोजगार और ग्राम-स्तर की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए MFP पर स्वामित्व और विपणन अधिकार जनजातीय स्वशासन की आर्थिक रीढ़ हैं।

तालिका 4. छत्तीसगढ़ का जनजातीय-वन संदर्भ

संकेतक	**स्थिति**	**स्रोत/महत्व**
कुल भौगोलिक क्षेत्र	1,35,191 वर्ग किमी	राज्य वन विभाग
वन क्षेत्र	लगभग 59,772 वर्ग किमी	राज्य वन विभाग
वन आवरण	55,811.75 वर्ग किमी	ISFR 2023/FSI
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	78.22 लाख	छत्तीसगढ़ जनजातीय विभाग
प्रमुख विधिक क्षेत्र	भूमि संरक्षण, FRA, PESA, MFP, ग्राम सभा	विधिक स्रोतों का संश्लेषण

चित्र 2. छत्तीसगढ़ में वन आवरण का भौगोलिक अनुपात।

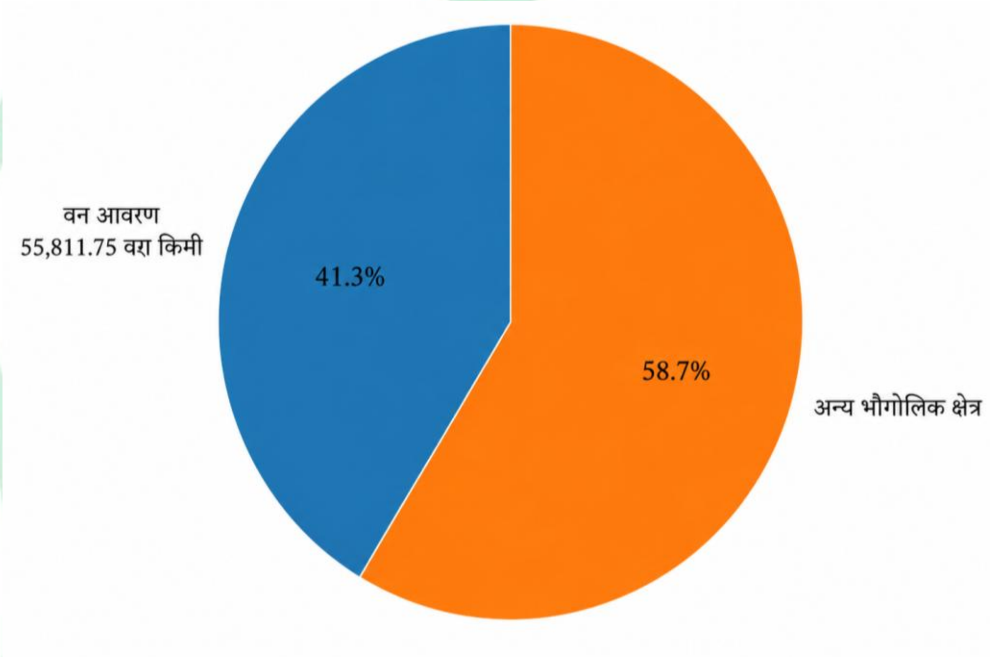

स्रोत: उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर लेखक द्वारा तैयार।

6. विधिक विश्लेषण: भूमि, वन और स्वशासन

6.1 पाँचवीं अनुसूची और राज्यपाल की भूमिका

पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था प्रदान करती है। इसका उद्देश्य यह है कि जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य प्रशासनिक कानूनों को यांत्रिक रूप से लागू न किया जाए, बल्कि स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थिति के अनुसार नियमन किया जाए। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ कानूनों के अनुप्रयोग को संशोधित या सीमित कर सके। इसके साथ जनजातीय सलाहकार परिषद की संस्था भी जनजातीय हितों पर परामर्श देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

छत्तीसगढ़ में पाँचवीं अनुसूची की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या राज्यपाल और सलाहकार परिषद की भूमिका केवल औपचारिक रहती है या भूमि, खनन, वन और विस्थापन से जुड़े निर्णयों में जनजातीय हितों की वास्तविक समीक्षा करती है। यदि यह व्यवस्था सक्रिय रूप से उपयोग नहीं होती, तो संवैधानिक संरक्षण कमजोर पड़ सकता है।

6.2 पेसा और ग्राम सभा की विधिक शक्ति

पेसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को समुदायिक संसाधनों, परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय योजनाओं का केंद्र बनाता है। इसका उद्देश्य यह है कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास और संसाधन-प्रबंधन स्थानीय समुदाय की जानकारी और सहमति के बिना न हो। पेसा का महत्व विशेष रूप से भूमि-अधिग्रहण, पुनर्वास, लघु खनिज, लघु जलाशय, मादक पदार्थ नियंत्रण, बाजार प्रबंधन और लघु वन उपज जैसे विषयों में दिखाई देता है।

छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 ने ग्राम सभा की प्रक्रियाओं को राज्य स्तर पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नियमों की सकारात्मकता यह है कि वे स्वशासन की विधिक भाषा को ग्राम-स्तर तक लाते हैं। किंतु चुनौती यह है कि ग्राम सभा की बैठक, कोरम, रिकॉर्ड, महिला भागीदारी, भाषाई पहुँच, विभागीय अनुपालन और ग्राम सभा के निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति को व्यवहार में मजबूत किया जाए।

6.3 वनाधिकार अधिनियम और ग्राम सभा

FRA में ग्राम सभा केवल दावा प्रस्तुत करने की प्रारंभिक संस्था नहीं है। वह अधिकारों की पहचान, सत्यापन और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन की मूल इकाई है। इस दृष्टि से FRA और पेसा एक-दूसरे के पूरक हैं। पेसा ग्राम सभा को स्वशासन का अधिकार देता है और FRA ग्राम सभा को वन संसाधनों पर विधिक अधिकार देता है।

छत्तीसगढ़ में FRA का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि बड़ी जनजातीय आबादी वन-आधारित आजीविका पर निर्भर है। उपलब्ध 2024 तक के सार्वजनिक सांख्यिकीय संकेतकों के अनुसार राज्य में वनाधिकार दावों और वितरित अधिकार-पत्रों की संख्या बड़ी है। परंतु संख्यात्मक प्रगति को अधिकारों की वास्तविक गुणवत्ता से अलग नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की प्रभावशीलता क्षेत्र-सीमा, ग्राम सभा क्षमता, वन विभाग की भूमिका और स्थानीय संस्थागत समर्थन पर निर्भर करती है (Ballal et al., 2023; Das, 2019).

तालिका 5. छत्तीसगढ़ में वनाधिकार अधिनियम की स्थिति (31 दिसम्बर 2024)

श्रेणी	प्राप्त दावे	वितरित अधिकार-पत्र	संकेतक
व्यक्तिगत दावे	8,88,028	4,78,563	लगभग 53.9%
सामुदायिक दावे	53,949	49,270	लगभग 91.3%
कुल	9,41,977	5,27,833	लगभग 56.0%
अधिकार-पत्रों के अंतर्गत वन भूमि	–	लगभग 60,93,983.90 एकड़	IFR + Community

चित्र 3. छत्तीसगढ़ में FRA दावों और अधिकार-पत्रों की तुलना

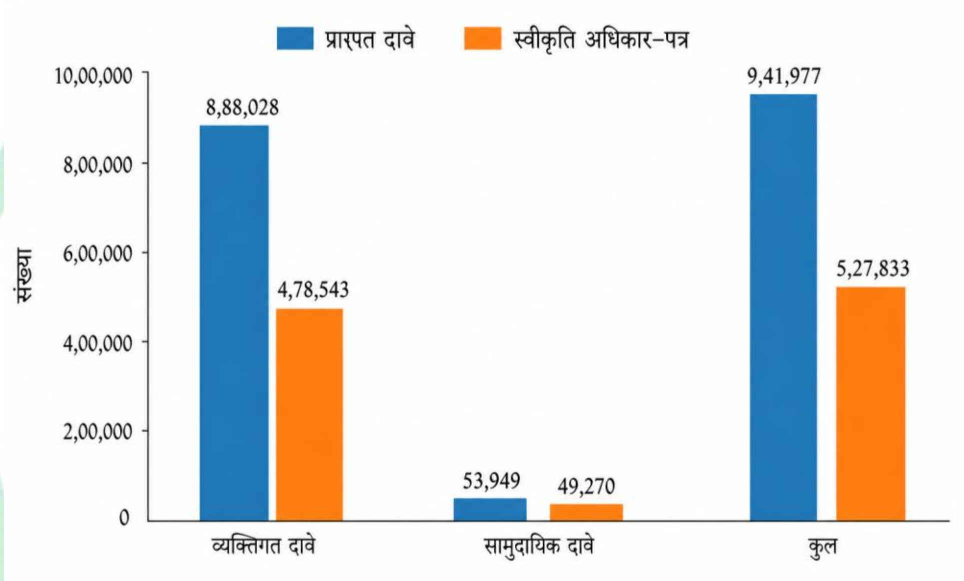

स्रोत: उपलब्ध 2024 द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर लेखक द्वारा तैयार।

6.4 भूमि हस्तांतरण और राजस्व संरक्षण

जनजातीय भूमि का गैर-जनजातियों को हस्तांतरण भारतीय जनजातीय क्षेत्रों की पुरानी समस्या है। कई बार यह बिक्री, बंधक, फर्जी पट्टा, बेनामी व्यवस्था, ऋण या दबावपूर्ण सौदे के माध्यम से होता है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय भूमिधरों के हित में भूमि-हस्तांतरण पर नियंत्रण और अवैध हस्तांतरण की स्थिति में पुनर्स्थापन की प्रक्रिया का प्रावधान है। ऐसे प्रावधानों का उद्देश्य भूमि-बाज़ार की असमान शक्ति से जनजातीय समुदायों को बचाना है।

फिर भी केवल प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। भूमि रिकॉर्ड का अद्यतन, सीमांकन, कानूनी सहायता, ग्राम सभा की निगरानी, सामाजिक लेखा-परीक्षा और समयबद्ध पुनर्स्थापन प्रक्रिया आवश्यक है। यदि आदिवासी भूमिधर को अपने अधिकार की जानकारी नहीं है या प्रशासनिक प्रक्रिया लंबी है, तो कानून का संरक्षण कागजी रह सकता है।

7. प्रमुख क्रियान्वयन चुनौतियाँ

7.1 कानून और प्रशासन के बीच अंतर

छत्तीसगढ़ में अधिकारों का ढाँचा विस्तृत है, परंतु क्रियान्वयन कई विभागों में विभाजित है। भूमि रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास, वन क्षेत्र वन विभाग के पास, जनजातीय कल्याण अलग विभाग के पास, खनन अनुमति अन्य विभागों के पास और ग्राम सभा पंचायत व्यवस्था से जुड़ी रहती है। इस विभाजन के कारण समुदाय को एकीकृत अधिकार-सुरक्षा नहीं मिल पाती।

7.2 ग्राम सभा की क्षमता और वैधानिक पहचान

ग्राम सभा को अधिकार देना और ग्राम सभा को अधिकार लागू करने योग्य बनाना दो अलग प्रक्रियाएँ हैं। कई ग्राम सभाओं में विधिक जानकारी, अभिलेख-रखरखाव, मानचित्र पढ़ने की क्षमता, महिला और कमजोर समूहों की

भागीदारी, स्थानीय भाषा में दस्तावेज और प्रशासन से संवाद की संस्थागत शक्ति सीमित होती है। इस कारण पेसा और FRA के अधिकार कभी-कभी विशेषज्ञों और अधिकारियों पर निर्भर हो जाते हैं।

7.3 वन विभाग और सामुदायिक वन संसाधन

सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों में सबसे बड़ा तनाव विभागीय वन प्रबंधन और ग्राम सभा-आधारित वन शासन के बीच है। यदि CFRR क्षेत्र पर ग्राम सभा को संरक्षण और प्रबंधन की विधिक शक्ति मिलती है, तो वन विभाग की भूमिका नियंत्रण से सहयोग की ओर बदलनी चाहिए। लेकिन व्यवहार में कार्य-योजनाएँ, वन अपराध, कटाई अनुमति, वनोपज व्यापार और संरक्षण योजनाएँ अभी भी विभागीय नियंत्रण में रह सकती हैं।

7.4 खनन, विस्थापन और संसाधन न्याय

छत्तीसगढ़ खनिज-समृद्ध राज्य है। कोयला, लौह अयस्क, बाक्साइट और अन्य खनिजों से जुड़े क्षेत्र कई बार जनजातीय और वन क्षेत्रों से ओवरलैप करते हैं। खनन और औद्योगिक परियोजनाएँ रोजगार तथा राजस्व ला सकती हैं, परंतु इनके कारण भूमि-अधिग्रहण, विस्थापन, जल स्रोतों पर असर, वनाधिकारों का ह्रास और सांस्कृतिक स्थलों का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पेसा के अंतर्गत परामर्श/सहमति और FRA के अंतर्गत अधिकारों की पूर्व-मान्यता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

7.5 लघु वन उपज और आर्थिक स्वायत्तता

लघु वन उपज पर स्वामित्व और विपणन अधिकार जनजातीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक हैं। यदि संग्रहकर्ता को न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्थानीय प्रसंस्करण, ग्राम सभा आधारित संग्रह-व्यवस्था और उचित बाजार मिलता है, तो MFP आर्थिक स्वशासन का साधन बन सकता है। किंतु यदि व्यापारिक नियंत्रण मध्यस्थों, ठेकेदारों या विभागीय केंद्रीकरण में चला जाता है, तो समुदाय का अधिकार सीमित हो जाता है।

तालिका 6. अधिकार-क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ और सुधार दिशा

क्षेत्र	मुख्य चुनौती	सुधार दिशा
भूमि	फर्जी/बेनामी हस्तांतरण, अधिग्रहण, रिकॉर्ड विवाद	तेज़ पुनर्स्थापन, ग्राम सभा प्रमाणन, कानूनी सहायता
वन	CFRR की धीमी मान्यता, विभागीय नियंत्रण, मानचित्रण विवाद	ग्राम सभा वन प्रबंधन योजना, संयुक्त तकनीकी सहायता
स्वशासन	कोरम, जानकारी, रिकॉर्ड, महिला भागीदारी	स्थानीय भाषा प्रशिक्षण, सामाजिक लेखा-परीक्षा
खनन	विस्थापन, आजीविका हानि, पर्यावरण प्रभाव	पूर्व अधिकार-मान्यता, स्वतंत्र SIA, ग्राम सभा की वास्तविक सहमति
MFP	बाजार निर्भरता, मूल्य अस्थिरता, मध्यस्थ नियंत्रण	MSP, स्थानीय प्रसंस्करण, सहकारी विपणन

8. विश्लेषण और निष्कर्षात्मक प्रतिपादन

- पहला निष्कर्ष यह है कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय अधिकारों का विधिक ढाँचा बहुस्तरीय है। संविधान, पेसा, FRA और राज्य भूमि कानून अलग-अलग होकर भी एक संयुक्त संरक्षण प्रणाली बनाते हैं।
- दूसरा निष्कर्ष यह है कि ग्राम सभा इस ढाँचे की केंद्रीय संस्था है। भूमि, वन और स्वशासन के बीच यदि कोई साझा विधिक मंच है, तो वह ग्राम सभा है।
- तीसरा निष्कर्ष यह है कि FRA के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दावों और अधिकार-पत्रों की संख्या बड़ी है, परंतु कुल प्राप्त दावों की तुलना में स्वीकृत अधिकार-पत्रों का अनुपात यह संकेत देता है कि अभी भी दावा-निपटान, अस्वीकृति समीक्षा और रिकॉर्ड सत्यापन की आवश्यकता है।
- चौथा निष्कर्ष यह है कि सामुदायिक दावों का उच्च अनुपात सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन CFRR की वास्तविक गुणवत्ता—क्षेत्र-सीमा, प्रबंधन अधिकार, ग्राम सभा क्षमता और वनोपज नियंत्रण—संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है।
- पाँचवाँ निष्कर्ष यह है कि भूमि संरक्षण कानूनों का प्रभाव तभी बढ़ेगा जब अवैध हस्तांतरण की पहचान, पुनर्स्थापन और कानूनी सहायता को ग्राम सभा और राजस्व प्रशासन के साथ जोड़ा जाएगा।
- छठा निष्कर्ष यह है कि खनन और संरक्षण दोनों ही संदर्भों में जनजातीय अधिकारों को “बाधा” नहीं बल्कि लोकतांत्रिक वैधता और पर्यावरण न्याय के आधार के रूप में समझना होगा।

9. विधिक एवं नीतिगत सुझाव

- छत्तीसगढ़ में पेसा ग्राम सभाओं के लिए स्थानीय भाषा में सरल विधिक पुस्तिका, प्रशिक्षण मॉड्यूल और डिजिटल-ऑफलाइन रिकॉर्ड प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
- FRA दावों की अस्वीकृति के कारणों को ग्राम सभा की उपस्थिति में स्पष्ट किया जाए और पुनर्विचार/अपील की प्रक्रिया समयबद्ध बनाई जाए।
- सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के लिए ग्राम सभा आधारित मानचित्रण को राजस्व और वन रिकॉर्ड से जोड़ा जाए, ताकि क्षेत्र-सीमा विवाद कम हों।
- खनन, उद्योग और अधोसंरचना परियोजनाओं में भूमि-अधिग्रहण से पूर्व FRA अधिकारों की पूर्ण मान्यता और पेसा ग्राम सभा की वास्तविक, सूचित और लिखित सहमति सुनिश्चित की जाए।
- जनजातीय भूमि के अवैध हस्तांतरण पर जिला-स्तरीय विशेष समीक्षा अभियान चलाया जाए, जिसमें ग्राम सभा, राजस्व अधिकारी और कानूनी सेवा प्राधिकरण शामिल हों।
- लघु वन उपज के लिए ग्राम सभा/सहकारी संस्थाओं को प्राथमिक विपणन, भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य-वर्धन की भूमिका दी जाए।
- जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठकों और सिफारिशों को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, ताकि पाँचवीं अनुसूची की भूमिका सक्रिय हो।
- वन विभाग की भूमिका CFRR क्षेत्रों में नियंत्रक से सहयोगी तकनीकी संस्था की ओर बदली जाए, जिसमें ग्राम सभा की प्रबंधन योजना को प्राथमिकता मिले।

- महिला संग्राहकों, PVTG समुदायों और दूरस्थ वन गाँवों के लिए विशेष अधिकार-सहायता केंद्र स्थापित किए जाएँ।
- सभी अधिकार-पत्रों, ग्राम सभा प्रस्तावों और पुनर्स्थापन आदेशों का जिला-वार सार्वजनिक डैशबोर्ड बनाया जाए, परंतु संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनी रहे।

10. निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में जनजातीय भूमि, वन और स्वशासन अधिकारों का विधिक अध्ययन यह दिखाता है कि अधिकारों का प्रश्न केवल कानून बनाने से हल नहीं होता। संविधान की पाँचवीं अनुसूची, पेसा, वनाधिकार अधिनियम और राज्य भूमि कानून मिलकर एक शक्तिशाली अधिकार-ढाँचा बनाते हैं, परंतु इस ढाँचे की आत्मा ग्राम सभा की वास्तविक निर्णय-क्षमता में निहित है। यदि ग्राम सभा केवल कागजी संस्था रह जाती है, तो भूमि और वन अधिकार प्रशासनिक अनुमति में बदल जाते हैं; लेकिन यदि ग्राम सभा को सूचना, रिकॉर्ड, प्रशिक्षण, संसाधन और वैधानिक सम्मान मिलता है, तो वही समुदाय-आधारित न्याय और सतत विकास का आधार बन सकती है।

छत्तीसगढ़ का सामाजिक-भौगोलिक चरित्र इस अध्ययन को और महत्वपूर्ण बनाता है। बड़ी जनजातीय आबादी, व्यापक वन क्षेत्र, लघु वन उपज आधारित अर्थव्यवस्था और खनिज-समृद्ध भूगोल मिलकर भूमि-वन-संसाधन संघर्षों की संभावना बढ़ाते हैं। ऐसे में अधिकार-आधारित शासन केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और लोकतांत्रिक वैधता का प्रश्न भी है।

अंततः, छत्तीसगढ़ में जनजातीय अधिकारों की सफलता तीन बातों पर निर्भर करेगी: भूमि की सुरक्षा, वन संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण और ग्राम सभा के स्वशासन की वास्तविकता। इन तीनों को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक संयुक्त विधिक और प्रशासनिक कार्यक्रम के रूप में लागू करना आवश्यक है। यही दृष्टिकोण जनजातीय समुदायों को विकास की वस्तु नहीं, बल्कि अपने संसाधनों और भविष्य के निर्णयकर्ता के रूप में स्थापित कर सकता है।

परिशिष्ट: अधिकार-जांच प्रश्नावली

जाँच प्रश्न	उद्देश्य
क्या संबंधित गाँव अनुसूचित क्षेत्र में है?	पेसा और पाँचवीं अनुसूची लागू होने की पुष्टि
क्या ग्राम सभा विधिवत गठित और सक्रिय है?	कोरम, रिकॉर्ड, महिला भागीदारी और स्थानीय भाषा में सूचना
क्या FRA अधिकारों की पूर्व-मान्यता हुई है?	IFR, CFR और CFRR दावों की स्थिति
क्या भूमि/वन क्षेत्र का मानचित्र उपलब्ध है?	राजस्व-वन-ग्राम सभा रिकॉर्ड का मिलान
क्या परियोजना/अधिग्रहण पर ग्राम सभा से वास्तविक परामर्श/सहमति ली गई है?	सूचित निर्णय और लिखित प्रस्ताव
क्या पुनर्वास और आजीविका विकल्प स्पष्ट हैं?	सामाजिक प्रभाव आकलन और दीर्घकालिक आय-सुरक्षा

क्या MFP अधिकार और विपणन व्यवस्था ग्राम सभा के अनुकूल है?	MSP, संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण व्यवस्था

संदर्भ सूची

आशेर, एम. (2019). वन अधिकार अधिनियम का विकास: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, 80(4), 405-422. https://doi.org/10.32444/IJSW.2019.80.4.405-422

बल्लाल, ए., गुहा, ए., तांबे, एस., पटनायक, एस., और जो, ई. टी. (2023). भारत में सामुदायिक वन कानून: अधिकार-आधारित बहुकेंद्रवाद या उत्तरदायित्व? वर्ल्ड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स, 31, 100525. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2023.100525

दास, बी. के. (2019). अधिकारों का हनन जारी है: भारत में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन प्रक्रिया में वन शासन के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कानून को कैसे ध्वस्त किया गया। यूरोपियन जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, 31(4), 957-983. https://doi.org/10.1057/s41287-019-0195-2

ड्लुगोलेस्की, डी. एन. (2020). ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना: औपनिवेशिक वन कानूनों से अलग होने में वन अधिकार अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। इंडियन लॉ रिव्यू, 4(2), 1-23. https://doi.org/10.1080/24730580.2020.1783941

काशवान, पी. (2017). जंगलों में लोकतंत्र: भारत, तंजानिया और मेक्सिको में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

किंडो, डी. पी. (2025). भारत में पीईएसए अधिनियम के अट्ठाईस वर्ष: विकास, शासन और जनजातीय स्वशासन। डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस। https://doi.org/10.1080/09614524.2025.2524596

कुजुर, जे. एम. (2008). छत्तीसगढ़ में विकास-प्रेरित विस्थापन: एक जनजातीय परिप्रेक्ष्य से एक केस स्टडी। सोशल एक्शन, 58(1), 31-39।

कुमार, के., और केर, जे. एम. (2012). लोकतांत्रिक दावे: भारत के वन अधिकार मान्यता अधिनियम का निर्माण। डेवलपमेंट एंड चेंज, 43(3), 751-771। https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2012.01777.x

कुमार, के., सिंह, एन. एम., और केर, जे. एम. (2015). भारत में विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक वन सुधार: अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर अग्रसर। फॉरेस्ट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स, 51, 1-8। https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.09.018

कुरुप, ए. (2008). भारत में जनजातीय कानून: विकेंद्रीकृत प्रशासन किस प्रकार जनजातीय अधिकारों का हनन कर रहा है और स्वायत्त जनजातीय सरकारें बेहतर क्यों हैं। स्वदेशी कानून जर्नल, 7(1), 87-126।

पटनायक, एस. (2007). पीईएसए, वन अधिकार अधिनियम और भारत में जनजातीय अधिकार। गरीबी उन्मूलन और वनों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही, बैंकॉक, थाईलैंड।

सुंदर, एन. (2007). अधीनस्थ और संप्रभु: बस्तर का एक मानवशास्त्रीय इतिहास, 1854-2006 (द्वितीय संस्करण)। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।